

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं० - 540 / 2025

खान : -

- 1 हनुमान प्रसाद पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चाहूवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 मांगीलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चाहूवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 रणवीर पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी चाहूवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 4 मोहनलाल पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी चाहूवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण


बनाम्

1. परमेश्वरी पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी चाहूवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णा देवी पुत्री लेखराम पत्नी भजीराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सावित्री देवी पुत्री लेखराम पत्नी बीरबलराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।
4. राधा पुत्री रामकुमार पत्नी विनोद जाति जाट निवासी 18 एसपीडी त० पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. मंजू पुत्री रामकुमार पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी 18 एसपीडी त० पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. लिछमा पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी चाहूवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. कैलाश पुत्री जगदीश पत्नी राजू जाति जाट निवासी सौमासर त० सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. राजो पुत्री जगदीश पत्नी महावीर जाति जाट निवासी सौमासर त० सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. कांता पुत्री जगदीश पत्नी संजय जाति जाट निवासी सौमासर त० सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. स्नेहा पुत्री जगदीश पत्नी नरेन्द्र जाति जाट निवासी मक्कासर त० व जिला हनुमानगढ़।
11. नीलम पुत्री जगदीश पत्नी चैनाराम जाति जाट निवासी घुमड़वाली त० पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. सरबती पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी चाहूवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी कुन्दनलाल व विकास शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 10 ए.जी. जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 68/87 में अंकित कुल 7.717 हैक्टेयर भूमि में स्व० लेखराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि के वादीगण ब०हि०ब० अनुसार खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में स्व. लेखराम पुत्र तिलोका राम का नाम कलमजन किया जावे और यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 28/01/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी